राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 21886-22076 दिनांक :– 09/09/16

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त, राजस्थान।

विषय :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को नगर निकायों में लागू करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राजस्थान सरकार द्वारा वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 की अनुपालना में नगर निकायों में माल, सेवाओं एवं संकर्मो के उपापन हेतु निम्नलिखित प्रकार से इलेक्ट्रोनिक उपापन (e-tendering) का अंगीकरण अनिवार्य होगा।

1. दस लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य (Estimated value) वाले माल (Goods) और सेवाओं (Services) के उपापन (Procurement).
2. पांच लाख रूपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य (Estimated value) वाले संकर्मो (Works) के उपापन (Procurement).

अतः सभी निकायो को निर्देशित किया जाता है, कि निकायों हेतु माल (Goods), सेवाओं (Services) एवं संकर्मो (Works) के उपापन (Procurement) हेतु किये जाने वाली निविदायें उपरोक्तानुसार e-tendering system से किये जावे।

संलग्न :– वित्त विभाग की अधिसूचना।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 22077-22386 दिनांक :– 09/09/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, निदेशक स्थानीय निकाय, राज. जयपुर।
4. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, (समस्त) नगर निगम/परिषद/पालिकायें, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), समस्त, राजस्थान।
7. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
8. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
10. CMAR, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 9, बुधवार, शाके 1938–अगस्त 31, 2016 *Bhadra 9, Wednesday, Saka 1938–August 31, 2016*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2016

एस.ओ. 69 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 28 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, इसके द्वारा घोषित करती है कि उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलैक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :–

1. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन; और
2. पांच लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

यह अधिसूचना 01 सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 31, 2016

S.O.69 .-In exercise of the powers conferred by sub-sub-section (2) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public

Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 5 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, in supersession of this department's notification number F. 1(8) /FD/GF&AR/2011 dated 16 September, 2015, hereby declares that the adoption of the electronic procurement shall be compulsory in the following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees ten lakh or more ; and
2. Procurement of Works having estimated value of rupees five lakh or more,

This notification shall come into force with effect from 01st September, 2016.

[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Naveen Mahajan,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.